उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

विविध 4 (h) वाद संख्या–81/2020–21
(अंचल अधिकारी, चास बनाम् सुकरी तेलीन, पिता गुही राम तेली)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
29/6/20	अभिलेख उपस्थापित। अनुमंडल पदाधिकारी, चास के माध्यम से अंचल अधिकारी, चास का विविध वाद संख्या–5536/2016–17 प्राप्त हुआ। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा राधानगर, थाना नं0–36/201, खाता नं0–136 /19, प्लॉट नं0––, रकवा–1.25 एकड़ भूमि, जिसका किस्म जंगल झाड़ी है, की जमाबंदी पंजी II के पृष्ट संख्या –341/। में बाबुलाल बाउरी का नाम दर्ज है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा अपने अभिलेख के आदेशफलक में वर्णित किया गया है कि मौजा राधानगर, थाना नं0–36/201, खाता नं0–136 /19, प्लॉट नं0––, रकवा–1.25 एकड भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है। (क) उक्त जमाबंदी दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम नहीं है। (ख) दिनांक 01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद साल–दर–साल निर्गत नहीं है (ग) दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीद निर्गत नहीं है। (घ) वर्ष 1954–55 में हुए फिल्ड बुझारत पंजी में दखल कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वज के नाम अंकित नहीं है। (च) पंजी II में जमाबंदी सृजन का कोई आधार दर्ज नहीं है। (छ) दर्ज जमाबंदी में किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पंजी II के पृष्ट संख्या–341 / । पर सुकरी तेलीन, पिता गुही राम तेली के नाम दर्ज जमाबंदी को अवैध मानते हुए भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, चास/ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास के द्वारा संबंधित वाद में सूचना निर्गत कर सुनवाई की गई है। सुनवाई करने के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, चास /भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास के द्वारा भी मौजा राधानगर, थाना नं0–36/201, खाता नं0–136 /19, प्लॉट नं0––, रकवा–1.25 एकड भूमि जिसका किस्म जंगल झाड़ी है, की जमाबंदी पंजी II के पृष्ट संख्या 341 / । में सुकरी तेलीन, पिता गुही राम तेली के नाम दर्ज जामाबंदी को अवैध /संदेहात्मक मानते हुए भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् रद्द करने की अनुशंसा की गई है। इस न्यायालय के द्वारा प्रतिपक्षी का पक्ष जानने हेतु पुनः नोटिस निर्गत कर संबंधित वाद में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी की ओर से राजेश कुमार महतो, पिता नव कुमार महतो ग्राम–राधानगर	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्रवाई सं0 टिप्पणी तारीख
	थाना–बालीडीह, जिला–बोकारो उपस्थित हुए एवं इनके द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिग्रहित क्षेत्र के बाहर है तथा उनके द्वारा एक लिखित आवेदन इस न्यायालय को समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संधारित है, परन्तु प्रतिपक्षी के द्वारा लगान रसीद की छाया प्रति के अलावे अन्य कोई कागजात न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है। यदि विधिवत् रूप से संबंधित भूमि की बंदोवस्ती प्रतिपक्षी को प्राप्त होती तो उसका विवरण पंजी II में अनिवार्य रूप से वर्णित रहता तथा उससे संबंधित कागजात इत्यादि प्रतिपक्षी के पास भी उपलब्ध होता। सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रतिपक्षी के पासऐसी कोई कागजात उपलब्ध नहीं है, जिससे उनके द्वारा संबंधित भूमि पर किये जा रहे दावे की पुष्टि की जा सके। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि मौजा राधानगर, थाना नं0–36/201, खाता नं0–136 /19, प्लॉट नं0––, रकवा–1.25 एकड भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। (क) उक्त जमाबंदी दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम नहीं है। (ख) दिनांक 01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद साल–दर–साल निर्गत नहीं है (ग) दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीद निर्गत नहीं है। (घ) वर्ष 1954–55 में हुए फिल्ड बुझारत पंजी में दखल कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वज के नाम अंकित नहीं है। (च) पंजी II में जमाबंदी सृजन का कोई आधार दर्ज नहीं है। (छ) दर्ज जमाबंदी में किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है।ऐसी स्थिति में संबंधित भूमि पर प्रतिपक्षी द्वारा किये जा रहे दावे पूर्ण रूप से असत्य है। मौजा राधानगर, खाता नं0–154/27, खेसरा नं0–...., 220 और 230 का खतियानी रकवा 113.00 एकड़, 70.50 एकड़ एवं 77.00 एकड़ किस्म जंगल झाड़ी गत सर्वे खतियान में दर्ज है। वन विभाग के कब्जे में उक्त खेसरा नं0–230 में 10.80 एकड़ खेसरा नं–220 में 19.60 एकड़ कुल–30.40 एकड़ जमीन अधिसूचित है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के FRA की कार्रवाई एवं राजस्व विभाग की राज्यादेश सं0–29765/रा0, दिनांक 05.07.2019 के द्वारा कैबिनेट अनुमोदन के बाद शुल्क लेकर हस्तान्तरित की गयी। खेसरा नं0–...., 220, 230 में कुल 65.00 एकड़ एवं खाता संख्या 154/27 खेसरा 230, 220 में 0.75 एकड़ एवं 3.90 एकड़ जमीन हस्तान्तरित की गयी। इस प्रकार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में विधिवत् शुल्क अदायगी के बाद 69.65 एकड़ जमीन हस्तान्तरित की गयी, जिसपर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का डिपो प्लान्ट एवं रेलवे ट्रेक का निर्माण कार्य हो रहा है, जो लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।	

आदेश क्रम सं0 तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–202/95 टी गोदावर्मण थिरमूलपद बनाम् भारत सरकार वाद में पारित आदेश के अनुसार "जंगल, जंगल झाड़ी दर्ज भूमि चाहे वह किसी के स्वामित्व में हो वन भूमि मानी जाएगी।" अंचल अधिकारी, चास/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास /अनुमंडल पदाधिकारी, चास द्वारा किये गये अनुशंसा एवं प्रतिपक्षी को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर मौजा राधानगर, थाना नं0–36/201, खाता नं0–136 /19, प्लॉट नं0––, रकवा–1.25 एकड, जिसका किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है, की पंजी II के पृष्ट संख्या–341 / । में सुकरी तेलीन, पिता गुही राम तेली के नाम से चल रही जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार /झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) एवं मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रॉची के पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 6144/रा0, दिनांक 21.12.2017 द्वारा दिये गये निर्देश के तहत् रद्द की जाती है। विषयगत रद्द की गई जमाबंदी की सम्पुष्टि सरकार से प्राप्त करने हेतु अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को भेजें। अपर समाहर्त्ता, बोकारो। उपायुक्त, बोकारो।	